आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा
सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 167 /इंदौर/2020
निर्धारण वर्ष : 2010-11

मे. पर्पल वेकेशन प्रा.लि., भोपाल	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त (सेंट्रल)-II, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएएफसीपी 2518 क्यू		

निर्धारिती की ओर से :	श्री गिरीश अग्रवाल तथा सुश्री निशा लाहोटी, प्राधि.प्रति.
राजस्व की ओर से :	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	19.08.2021
उद्घोषणा तिथि :	28.09.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2010-11 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-3, भोपाल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) के अधीन पारित आदेश दिनांक 29.01.2020 के विरूद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर निदेशित हैं । यह अपील 40 दिनों से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन की स्थिति के कारण निर्धारिती समय पर अपील दाखिल नहीं

कर पाया । अतः उसने अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने का अनुरोध किया है । हमने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील को दाखिल करने में विलंब को माफ किया जाता है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया कि क्वांटम परिवर्धन जिनके आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई थी, उसे आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ द्वारा आ(एसएस) अ.सं. 120/इंदौर/2017 में आदेश दिनांक 28.03.2019 के द्वारा निर्धारण आदेश को निरस्त करके हटाया गया है अतः वर्तमान अपील में शास्ति अस्तित्व में नहीं रहेगी । अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन अधिरोपित रु. 75,000/- की शास्ति को हटाने हेतु निवेदन किया ।

3. विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु इस तथ्य का खंडन नहीं कर पाये कि क्वांटम परिवर्धन आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा हटाया गया है ।

4. हमने परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है तथा हमारे समक्ष उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है । हमने पाया कि आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ ने आ(एसएस) अ.सं. 120/इंदौर/2017 में आदेश दिनांक 28.03.2019 के द्वारा निर्धारण आदेश को निरस्त करके क्वाटंम परिवर्धन हटाया है । अतः हमारा विचारपूर्ण अभिमत है कि जब वह परिवर्धन ही हटाया गया है जिनके आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्ति अधिरोपित की गई है, तब उस पर अधिरोपित शास्ति भी अस्तित्व में नहीं

रहेगी अतः हम विचाराधीन निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्ति हटाते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 28.09.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मधुमिता रॉय)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 28.09.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल